



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 15, शक 1945

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

क्र. 822-P-1724510-23-पी.एस.एम.डी./इक्सठ-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदार्थित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदार्थित अधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (6)	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग (7)
33.39	पर्यटन बार लाइसेंस (F.L.2-AA)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरान्त निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग	
33.40	होम बार लाइसेंस (F.L.H.B.)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरान्त निराकरण 02 सप्ताह	आबकारी	02 सप्ताह	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.41	मध्यप्रदेश में निर्मित वाइन की रिटेल दुकान का लायसेंस (R.W.S-1)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरान्त निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग
33.42	सुपर मार्केट में रिटेल वाइन दुकान लायसेंस (R.W.S-2)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरान्त निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग
33.43	स्टेट एक्साइज लेबल रजिस्ट्रेशन (State Excise Label Registration)	आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश गवालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरान्त निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	—
33.44	इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट परमिट ऑफ स्प्रिट एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) (Import and Export permit of Spirit and Indian made Foreign Liquor (IMFL)	आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश गवालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरान्त निराकरण 02 सप्ताह	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग	02 सप्ताह	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.